

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2018

सा.का.नि. 607(अ).— केंद्रीय सरकार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 21क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 17 के अनुसरण में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्यिक न्यायालय (सांख्यिकी आंकड़ा) नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, --

(क) "अधिनियम" से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (2016 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं वहीं अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं।

3. वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक अपील न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग द्वारा आंकड़ों का एकत्रण और प्रकटन-

वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक अपील न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग, यथास्थिति, के समक्ष दाखिल वादों, आवेदनों, अपीलों और रिट याचिकाओं, लंबित मामलों, मामलों की प्रास्थिति और निपटाए गए मामलों की

संख्या के संबंध में, अधिनियम की धारा 17 द्वारा यथापेक्षित सांख्यिकी आंकड़ों का, संबद्ध उच्च न्यायालयों द्वारा उनकी वैब साइट पर इन नियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप में रखरखाव किया जाएगा, अद्यतन किया जाएगा और प्रत्येक माह के दसवें दिन प्रकाशन किया जाएगा।

अनुसूची
सांख्यिकी आंकड़ों के लिए रूप विधान
(नियम 3 देखें)

क्रम सं.	न्यायालय का नाम	लंबित मामलों की संख्या (___ महीने के प्रथम दिन)	नए संस्थित मामलों की संख्या (स्तंभ 3 के अनुसार महीने के दौरान)	न्यायालय में लंबित कुल मामलों की संख्या (स्तंभ 3 के अनुसार महीने के आखिरी दिन)	निपटाए गए मामलों की संख्या (स्तंभ 3 के अनुसार महीने के दौरान)	मामले का विनिश्चय करने के लिए लगे दिनों की औसत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

[सं. ए-60011(06)/20/2016-प्रशा.-III (एल ए)]

डा. राजीव मणि, संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार

NOTIFICATION

New Delhi, the 3 rd July, 2018

G.S.R. 607(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 21A of the Commercial Courts Act, 2015 and in pursuance of section 17 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

- 1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Commercial Courts (Statistical Data) Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.**— (1) In these rules unless the context otherwise requires,-
(a) "Act" means the Commercial Courts Act, 2015 (4 of 2016);
(b) "Schedule" means the Schedule appended to these rules.

(2) The words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act— shall have the same meanings as respectively assigned to them in that Act.

- 3. Collection and disclosure of data by Commercial Courts, Commercial Appellate Courts, Commercial Divisions and Commercial Appellate Divisions of High Courts.**— The statistical data, as required by section 17 of the Act, regarding the number of suits, applications, appeals or writ petitions filed before the Commercial Courts, Commercial Appellate Courts, Commercial Division or Commercial Appellate Division, as the case may be, the pendency of such cases, the status of each case, and the number of cases disposed off, shall be maintained, updated and published by the tenth day of every month in the form specified in Schedule appended to these rules, by the concerned High Courts on their website.

SCHEDULE
Format for Statistical data
(See Rule 3)

S.No (1)	Name of the Court (2)	No. of cases pending (on the 1 st day of month of ___) (3)	No. of new cases instituted (during the month as per column 3) (4)	Total cases pending in the court (on the last day of the month as per column 3) (5)	No. of cases disposed (during the month as per column 3) (6)	Average no. of days taken to decide the case (7)

[No.A-60011(06)/20/2016-Admin-III(LA)]
Dr. Rajiv Mani, Jt. Secy. and Legal Adviser

**RAKESH
SUKUL**

Digitally signed by
RAKESH SUKUL
Date: 2018.07.05
18:04:43 +05'30'